13

।। महानिदेशालय कारागार, राजस्थान जयपुर।।

क्रमांकः– सामान्य/7/89–90/ 58057-156 दिनांकः– 23/2/10

समस्त अधीक्षक/उपाधीक्षक/प्रभाराधिकारी,
केन्द्रीय/जिला/उप कारागृह राज0
प्रभारी, महिला बंदी सुधारगृह, जयपुर/जोधपुर

–: परिपत्र :–

विभिन्न कारागृहों से प्राप्त बंदियों के आपात पैरोल प्रकरणों के परीक्षण से ध्यान में आया है कि बंदियों द्वारा विभिन्न आपात स्थितियों में यथा परिवाजन के गंभीर बीमार होने पर/परिवाजन की मृत्यु होने पर/परिवारजन का विवाह एवं प्राकृतिक विपदा आदि में पैरोल आवेदन प्रस्तुत करने पर प्रभारी जेलों द्वारा आपात कालीन पैरोल प्रकरण इस कार्यालय को प्रेषित कर दिये जाते है, जिसे आपात स्थिति में बंदी को आपात पैरोल स्वीकृति में अनावश्यक विलम्ब होता है।

अतः बंदियों के विभिन्न परिस्थितियों में प्राप्त आपात पैरोल प्रकरणों के त्वरित निस्तारण हेतु निम्नलिखित दिशा–निर्देश प्रदान किये जाते है :–

1– राजस्थान प्रिजन्स रिलीज ऑन पैरोल रूल्स 1958 के प्रावधानों के अनुसार नियम 10(ए) में वर्णित परिस्थितियों के कारण अधीक्षक जेल बंदी को 7 दिवस का आपात पैरोल स्वीकृत करने में सक्षम है, साथ ही संबंधित जिला मजिस्ट्रेट बंदी को 15 दिवस आपात पैरोल स्वीकृत करने में सक्षम है।

2– जैसे ही कोई बंदी नियम 10(ए) में वर्णित परिस्थितियों के कारण आपात पैरोल स्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तुत करता है तो, संबंधित जेल प्रभारी बंदी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों की जांच कराना तत्परता से सुनिश्चित करेंगें एवं देखेगें कि पैरोल चाहने के कारणों की पुष्टि प्रस्तुत दस्तावेजों एवं कराई गई जांच से हो रही अथवा नहीं ?

3– यह है कि बंदी द्वारा आवेदन करने पर यदि उपरोक्तानुसार तथ्यों की पुष्टि हो रही है तो नियमानुसार नियम 10(ए) के अन्तर्गत अधीक्षक जेल बंदी के 7 दिवस की आपात पैरोल स्वीकृत करेगें

4– यदि 15 दिवस आपात पैरोल हेतु आवेदन करता है तो अनावश्यक विलम्ब से बचने के लिये आपात पैरोल अपनी अभिशंषा सहित स्वीकृति हेतु संबंधित जिला कलेक्टर को प्रेषित करेगें।

5– यह है कि संबंधित जिला कलेक्टर उपलब्ध न होने पर पैरोल प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब होने की संभावना हो तो ही कारण सहित आपात पैरोल प्रकरण इस कार्यालय को स्वीकृति हेतु प्रेषित करेगें।

बंदियों के आपात पैरोल प्रकरण के निस्तारण में तत्परता बरतने हेतु राज्य सरकार एवं माननीय न्यायालय के दिशा–निर्देश पूर्व से ही है। अतः इस कार्यालय एवं संबंधित जिला कलेक्टर को प्रकरण भेजने आवश्यक हो तो बंदी के पैरोल आवेदन प्राप्त होने तुरन्त पुष्टिकृत दस्तावेजों के साथ भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

परिपत्र की पालना सुनिश्चित करें एवं प्राप्त रसीद स्वंय के हस्ताक्षरों से प्रेषित करें।

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान जयपुर